भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 2912

सोमवार, 07 अगस्त, 2023/16 श्रावण, 1945 (शक)

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

2912. श्री दिनेश लाल यादव 'निरहुआ':

क्या **कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कार्यशील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन संस्थानों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार की कोई आवश्यकता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार का और अधिक युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए बिहार सहित देश के अन्य राज्यों में और अधिक संख्या में आईटीआई स्थापित करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) भारत सरकार के कौशल भारत मिशन (एसआईएम) का उद्देश्य हमारे युवाओं को अर्थव्यवस्था के विस्तार के साथ आने वाले व्यापक अवसरों के लिए तैयारी को सुनिश्चित करने हेतु कौशलीकरण, पुनःकौशलीकरण तथा अप-स्किलिंग करना है तथा भारत विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। एसआईएम का उद्देश्य युवाओं में प्रतिभा को भविष्य तथा उद्योग हेतु विकसित करना है।

एसआईएम के तहत, एमएसडीई समाज के सभी वर्गों को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) तथा जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) के माध्यम से अल्पकालिक कौशल और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआइज) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के दीर्घकालिक कौशल प्रदान करता है।

वर्तमान में देश में 14,938 आईटीआइज स्थापित हैं जिनमें से 3253 आईटीआइज सरकारी आईटीआइज हैं और 11685 आईटीआइज निजी आईटीआइज हैं। आईटीआइज की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूची *अनुबंध-1* में संलग्न है।

(ख) तथा (ग) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआइज) में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण में सुधार एक सतत प्रक्रिया है। इस दिशा में, अन्य बातों के साथ-साथ आईटीआइज की संबद्धता के मानकों और मानदंडों की समीक्षा की जाती है, उद्योग प्रथाओं के अनुसार पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रमों को संशोधित किया जाता है और मूल्यांकन कार्य-प्रणाली को सुदृढ़ किया जाता है।

इनके अलावा, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) ने देश भर में आईटीआइज के उन्नयन के लिए निम्नलिखित योजनाओं/परियोजनाओं के तहत निधी आवंटित किया है।

i. पूर्वोत्तर राज्यों में कौशल विकास के अवसंरचना को बढ़ाना: प्रत्येक आईटीआई में तीन नए व्यवसायों को आरंभ कर 22 मौजूदा आईटीआइज के उन्नयन तथा प्रत्येक आईटीआई में मौजूदा 03 व्यवसायों हेतु पुराने और अनुप्रयुक्त उपकरणों एवं उपस्करों के अनुपूरक सहित नए छात्रावास तथा चारदीवारी का निर्माण द्वारा 28 आईटीआइज में अवसंरचनात्मक कमियों को पूरा करने की परिकल्पना की गई है। राज्यवार आवंटित और जारी निधि का ब्यौरा *अनुबंध-2* में संलग्न है।

ii. मौजूदा सरकारी आईटीआइज का मॉडल आईटीआइज में उन्नयन: प्रत्येक राज्य में कम से कम एक मौजूदा आईटीआई को सर्वोत्तम अभ्यासों, कुशल और उच्च गुणवत्ता प्रशिक्षण वितरण तथा टिकाऊ एवं प्रभावी उद्योग संबंधों को प्रदर्शित करने हेतु आईटीआइज के उन्नयन हेतु मॉडल आईटीआई में उन्नयन करने के लिए शामिल किया गया है। राज्यवार आवंटित और जारी निधि का ब्यौरा *अनुबंध-2* में संलग्न है।

iii. औद्योगिक मूल्य संवर्धन हेतु कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव): दीर्घकालिक व्यावसायिक शिक्षा में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों की बाजार प्रासंगिक तथा गुणवत्ता में सुधार करना स्ट्राइव परियोजना का उद्देश्य है। इस परियोजना के तहत, अदिनांक 498 आईटीआइज (जिसमें 465 सरकारी तथा 33 निजी आईटीआइज शामिल हैं) को उनके प्रशिक्षण अवसंरचना (गैर-सिविल कार्य) के उन्नयन हेतु निधि प्राप्त करने के लिए चुना गया है। आईटीआइज की राज्यवार संख्या तथा अदिनांक स्वीकृत राशि *अनुबंध-3* में संलग्न है।

(घ) तथा (ङ) जी, नहीं। आईटीआइज में नए पाठ्यक्रमों की शुरुआत सहित आईटीआइज की स्थापना और प्रशासन राज्य सरकारों/संघ राज्य-क्षेत्रों के अधिकार क्षेत्र में आता है जबकि संबद्धता के लिए मापदंड निर्धारित करना, पाठ्यचर्या डिजाइन करना तथा प्रमाणन के साथ परीक्षा आयोजित करना जैसी नीतियां तैयार करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारियां हैं।

अनुबंध -1

दिनांक 07.08.2023 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2912 के भाग (क) के उत्तर से संदर्भित अनुबंध: राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आईटीआइज की सूची

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सरकारी आईटीआइज की संख्या	निजी आईटीआइज की संख्या	आईटीआइज की कुल संख्या
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	3	1	4
2.	आंध्र प्रदेश	85	433	518
3.	अरुणाचल प्रदेश	7	0	7
4.	असम	31	13	44
5.	**बिहार**	**150**	**1223**	**1373**
6.	चंडीगढ़	2	0	2
7.	छत्तीसगढ	120	113	233
8.	दिल्ली	17	36	53
9.	गोवा	11	2	13
10.	गुजरात	274	234	508
11.	हरियाणा	160	228	388
12.	हिमाचल प्रदेश	128	140	268
13.	जम्मू एवं कश्मीर	49	1	50
14.	झारखंड	77	269	346
15.	कर्नाटक	275	1227	1502
16.	केरल	149	314	463
17.	लद्दाख	3	0	3
18.	लक्षद्वीप	1	0	1
19.	मध्य प्रदेश	195	883	1078
20.	महाराष्ट्र	422	607	1029
21.	मणिपुर	10	0	10
22.	मेघालय	7	1	8
23.	मिजोरम	3	0	3
24.	नागालैंड	8	0	8
25.	ओडिशा	63	450	513
26.	पुदुचेरी	8	7	15
27.	पंजाब	114	236	350
28.	राजस्थान	160	1453	1613
29.	सिक्किम	4	0	4
30.	तमिलनाडु	87	414	501
31.	तेलंगाना	66	233	299
32.	दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	3	0	3
33.	त्रिपुरा	20	2	22
34.	उत्तर प्रदेश	286	2943	3229
35.	उत्तराखंड	105	84	189
36.	पश्चिम बंगाल	150	138	288
सकल योग		**3253**	**11685**	**14938**

अनुबंध – 2

दिनांक 07.08.2023 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2912 के भाग (ख) तथा (ग) के उत्तर से संदर्भित अनुबंध:

योजनावार आवंटित तथा जारी निधि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(i) **पूर्वोत्तर राज्यों में कौशल विकास अवसंरचना को बढ़ाना:**

					(रु. लाख में)
क्र. सं.	**राज्य**	**मौजूदा सरकारी आईटीआइज का उन्नयन**		**34 नए आईटीआई की स्थापना**	
		आवंटित केंद्रीय हिस्सा	**जारी केंद्रीय हिस्सा**	**आवंटित केंद्रीय हिस्सा**	**जारी केंद्रीय हिस्सा**
1	अरुणाचल प्रदेश	1146.87	1060.85	7695	5944.3
2	असम	1443.24	1019.88	4275	1310.88
3	मणिपुर	1856.05	1319.33	3420	2171.59
4	मेघालय	1120.68	788.67	2565	1341.51
5	मिजोरम	1062.66	787.88	2565	1903.43
6	नागालैंड	1134.53	1189.47	3420	2866.3
7	सिक्किम	510.3	510.27	2565	1408.86
8	त्रिपुरा	354.22	291.38	2565	2565
	कुल	**8628.55**	**6967.73**	**29070**	**19511.87**

(ii) **मौजूदा सरकारी आईटीआइज का मॉडल आईटीआइज में उन्नयन**:

मौजूदा आईटीआई के उन्नयन के लिए ब्यौरा (रु. लाख में)			
क्र.स.	**राज्य**	**आवंटित केंद्रीय हिस्सा**	**जारी केंद्रीय हिस्सा**
1	आंध्र प्रदेश	630	630
2	असम	195.75	195.75
3	अरुणाचल प्रदेश	352.35	352.35
4	बिहार	630	350
5	छत्तीसगढ	630	350
6	चंडीगढ़	150	150
7	दिल्ली	531.09	295
8	गोवा	175	175
9	गुजरात	318.5	318.5
10	हरियाणा	630	630

11	हिमाचल प्रदेश	575.19	319.5
12	झारखंड	630	630
13	जम्मू एवं कश्मीर	630	350
14	कर्नाटक	805	525
15	केरल	630	630
16	लद्दाख	208.35	115.75
17	मध्य प्रदेश	350	350
18	महाराष्ट्र	157.332	157.33
19	ओडिशा	447.3	447.3
20	पंजाब	350	350
21	पुदुचेरी	175	175
22	राजस्थान	315	315
23	सिक्किम	450	450
24	तमिलनाडु	630	350
25	त्रिपुरा	648	553.25
26	तेलंगाना	630	350
27	उत्तर प्रदेश	3654	2562
28	उत्तराखंड	472.5	262.5
29	पश्चिम बंगाल	630	437.5
	कुल	**16630.36**	**12776.73**

अनुबंध-3

दिनांक 07.08.2023 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2912 के भाग (ख) तथा (ग) के उत्तर से संदर्भित अनुबंध:

राज्यवार आईटीआइज की संख्या और जारी निधि का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	सरकारी आईटीआइज की संख्या	निजी आईटीआइज की संख्या	स्ट्राइव के अंतर्गत जारी कुल निधि (रु. करोड़ में)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	-	1.01
2	आंध्र प्रदेश	15	-	15.88
3	अरुणाचल प्रदेश	1	-	3.46
4	असम	6	2	7.68
5	बिहार	4	-	4.64
6	चंडीगढ़	1	-	0.00
7	छत्तीसगढ़	13	4	13.18
8	दिल्ली	3	1	5.86
9	गोवा	2	-	4.44
10	गुजरात	34	4	38.10
11	हरियाणा	21	-	17.94
12	हिमाचल प्रदेश	31	1	27.95
13	जम्मू एवं कश्मीर	7	-	9.47
14	झारखंड	6	-	4.25
15	कर्नाटक	21	1	20.39
16	केरल	23	2	24.70
17	मध्य प्रदेश	20	1	26.07
18	महाराष्ट्र	72	5	82.93
19	मणिपुर	2	-	1.92
20	मेघालय	1	-	3.05
21	मिजोरम	1	-	2.96
22	नागालैंड	2	-	3.66
23	ओडिशा	25	2	19.76
24	पुदुचेरी	2	-	2.73
25	पंजाब	23	1	19.80
26	राजस्थान	14	-	15.72
27	सिक्किम	1	-	2.63
28	तमिलनाडु	29	3	21.53
29	तेलंगाना	17	-	12.70
30	त्रिपुरा	8	-	6.15
31	उत्तर प्रदेश	25	4	31.09
32	उत्तराखंड	8	-	8.55
33	पश्चिम बंगाल	26	2	31.00
कुल		**465**	**33**	**491.19**

******